न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक),

जमवारामगढ बइजलास श्री चिमनलाल मीना R.A.S

मिसल नं. 05/2020

तारीख दायर 10/01/2020

तारीख फैसला 16/05/2022

–उनवान –

1. भंवरलाल पुत्र हनुमान आयु 75 साल जाति मीना निवासी ग्राम रामपुरा उर्फ बादियावाला तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर हाल निवासी सी–104, पानीपेच, झोटवाडा रोड, नेहरू नगर जयपुर राजस्थान।

................**वादी**

बनाम

भोमराज पुत्र हनुमान
प्रहलाद पुत्र जुगलकिशोर
महेन्द्र पुत्र जुगलकिशोर
राकेश पुत्र जुगलकिशोर
ज्यानादेवी पत्नि जुगलकिशोर
समस्त आयु वयस्क, समस्त जाति मीना, समस्त निवासीयान ग्राम रामपुरा उर्फ बादियावाला तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर राजस्थान।

6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर राजस्थान।

........................**प्रतिवादीगण**

उपस्थित अभिभाषक

श्री रमाशंकर शर्मा :– वकील वादी

श्री रामकरण शर्मा :– वकील प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा–53, 188 बटंवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा आर0टी0एक्ट

–: निर्णय :–

वादी ने यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस कथन के साथ पेश किया कि वादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नम्बर 349 रकबा 0.1800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 350 रकबा 0.2300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 351 रकबा 0.2400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 611 रकबा 0.9600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 612 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 613 रकबा 0.5600 हैक्टेयर ग्राम रामपुरा उर्फ बादियावाला तहसील जमवारामगढ़ में स्थित हैं जिसमें वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 तथा प्रतिवादी सं. 2 लगायत 4 के पिता व प्रतिवादीया सं. 5 के पति जुगलकिशोर सहखातेदार हैं। जिसमें वादी का हिस्सा 1/3 एवं प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा 1/3 एवं प्रतिवादी सं. 2 लगायत 5 का सयुक्त रूप से हिस्सा 1/3 स्थित हैं।

अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 5 डिकी फरमाया जाकर भूमि विवादित खसरा नम्बर 349 रकबा 0.1800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 350 रकबा 0.2300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 351 रकबा 0.2400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 611 रकबा 0.9600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 612 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 613 रकबा 0.5600 हैक्टेयर ग्राम रामपुरा उर्फ बादियावाला तहसील जमवारामगढ़ का सरस – नरस के अनुसार वादी का राजस्व रिकॉर्ड व लगान अलग अलग कायम किया जावें।

अतः दिनांक 11–02–2021 को वाद में प्राथमिक डिक्री जारी कि जाकर तहसीलदार जमवारामगढ़ को कर्रेजात हेतु लिखा गया जिसमे दिनांक 12–05–2022 को आदेशानुसार

(फास्ट ट्रेक) ... जयपुर

तहसीलदार जमवारामगढ़ द्वारा कुर्रेजात रिर्पोट पेश की गई। प्रस्तुत कुर्रेजात पर उभयपक्षों को सुना गया।

पत्रावली का अद्योपान अवलोकन किया गया। तहसीलदार जमवारामगढ के द्वारा प्रस्तुत बटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया,तहसीलदार जमवारामगढ के द्वारा बटवारा कर बटवारा रिर्पोट प्रस्तुत की। तहसीलदार ने बटवारा हिस्से अनुसार किया । अतः वादी का वाद अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाता खसरा नम्बर 349, 350, 351 611, 612, 613 ग्राम रामपुरा उर्फ बादियावाला में स्थित हैं का प्राथमिक डिक्री अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक बटवारा रिर्पोट के निम्नानुसार विभाजन किया जाता हैं। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता हैं।

खाता संख्या	नाम प्रस्तावित खातेदार	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा हैक्टेयर	किस्म
	भंवरलाल पि. हनुमान मीना सा0देह खातेदार	रामपुरा उर्फ बादियावाला	349 350/2 611/2	0.1800 0.0200 0.5100	चाही–1 चाही–1 चाही–3
	कुल खसरा व रकबा		03	0.7100	

खाता संख्या	नाम प्रस्तावित खातेदार	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा हैक्टेयर	किस्म
	जानकी पत्नि जुगलकिशोर हिस्सा 1/8, प्रहलाद पुत्र जुगलकिशोर हिस्सा 1/8, महेन्द्र पुत्र जुगलकिशोर हिस्सा 1/8, राकेश पुत्र जुगलकिशोर हिस्सा 1/8 रहन पंजाब एवं सिंध बैंक शाखा कुकस भोमराज पि. हनुमान हिस्सा 1/2 मीणा सा0देह खातेदार	रामपुरा उर्फ बादियावाला	350/1 351/1 611/1 613/1	0.1950 0.2250 0.4500 0.5500	चाही–1 चाही–1 चाही–3 चाही–3
	कुल खसरा व रकबा		04	1.4200	

खाता संख्या	नाम प्रस्तावित खातेदार	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा हैक्टेयर	किस्म
	शामलाती जमाबन्दी बदस्तुर	रामपुरा उर्फ बादियावाला	350 351 613 612	0.0150 0.0150 0.0100 0.0100	
	कुल खसरा व रकबा		04	0.0500	

मौके पर खातेदारान की उपस्थिती में डिक्री एवं हिस्से अनुसार निम्न प्रकार बटवारा प्रस्ताव तैयार किया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
जमवारामगढ़ जयपुर

उपरोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान रेवन्यू रिकॉर्ड में अलग – अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही प्रतिवादीगण को हुक्म इक्तिनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता हैं कि वादी के हिस्से में आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा ट्रेस प्रमाणित किया गया। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हैं।

निर्णय आज **दिनांक 16 मई 2022** को मैरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जमवारामगढ़, जिला जयपुर